भारतीय शिल्प संस्थान

जे–8, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर– 302 004

सफाई कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क 200. रूपये

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025. को दोपहर 2.00. तक

निविदा खोलने की तिथि 29 अक्टूबर, 2025 को सांय. .3.00. बजे

धरोहर राशि.20000. ⁄ –रुपये

1. निविदादाता फर्म का नाम ....

2. कार्यालय का नाम पता मय फोन नं. ....

   ....

3. निवास स्थान का पता मय फोन नं. ....

   ....

4. निविदा हेतु धरोहर राषि रुपये .... डी.डी. नं. .... दिनांक .... संलग्न है।

5. अनुभव वर्ष .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. आयकर क्लियरेन्स, श्रम विभाग, पी.एफ., ई.एस.आई. का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. कार्य का स्थान– जयपुर

8. वित्तीय विवरण–

क्रम संख्या	विवरण	अर	कुल
1	मूल वेतन प्रति व्यक्ति	26 दिन x रू.	
2	सुपरवाईजर	26 दिन x रू.	
2	अन्य भत्ते प्रति व्यक्ति	26 दिन x रू.	
3	पी.एफ.	प्रतिशत.............	
4	ई.एस.आई	प्रतिशत	
		योग	
		सामग्री	
		सर्विस चार्ज (प्रतिशत..........)	
		कुल योग	
		कर प्रतिशत	
		महायोग	

राशि अंको में...................

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

तिथि :–

स्थान :–

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में रुपये 20000./- Indian Institute of crafts and design के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता को निविदा शुल्क नगद जमा करवाना होगा अथवा उस राशि का डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. **निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करते समय पिछले तीन माह के पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी.एस.टी. के रिटर्न/चालान मय रसीद के प्रस्तुत करने होंगे।**
4. सफल निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में .5 प्रतिशत राशि जमा करानी होंगी। जिसमें धरोहर राशि को समायोजित किया जा सकता है।
5. निविदादाता को निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा जिस पर स्पष्ट रूप से निविदादाता का नाम, कार्य का नाम अंकित होना चाहिये।
6. निविदादाता को राजकीय कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में सफाई कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव और वार्षिक टर्न ओवर 12.0.. लाख या अधिक होना आवश्यक है अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित संस्थानों के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। अनुभव पत्र के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने वाली एजेन्सियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
7. निविदादाता द्वारा प्रति सप्ताह फर्निचर, शीशों, दीवारों एवं अन्य उपकरणों को साफ करना होगा।
8. निविदादाता को प्रत्येक दिवस क्लास रूम एवं अन्य स्थानों पर रखी गई टेबिल कुर्सियों को यथा स्थान रखना होगा।
9. **निविदादाता द्वारा कचरा इकट्ठा करने हेतु कचरा पात्र एवं ट्रॉली रिक्शा की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कचरा प्रतिदिन एक निर्धारित जगह पर इकट्ठा कर परिसर से बाहर स्थित नगर निगम के कचरा डिपों अथवा नगर निगम के निर्देशानुसार स्थान पर डालना होगा।**
10. सफाई ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा, तदुपरान्त आपसी सहमति से ठेका अन्य वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।

11. निविदा भारतीय शिल्प संस्थान के सम्पूर्ण परिसर की सफाई के सम्बन्ध में होगी।
12. निविदादाता द्वारा सफाई ठेके अथवा इसके किसी भी भाग को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
13. यदि सफाई के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता बरती जाती है तो बिना कारण बताये एक नोटिस देकर सफाई ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
14. निविदादाता को भारतीय शिल्प संस्थान के पूरे परिसर की सफाई एवं स्वच्छता पूर्ण रूप से रखनी होगी।
15. निविदादाता के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी बिना प्रवेश पत्र के परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
16. ठेकेदार के पास आयकर क्लियरेन्स प्रमाण पत्र एवं श्रम विभाग का पंजीकरण होना चाहिये।
17. निविदादाता को विभिन्न स्थानों पर पोंछा एवं पोछे के लिए फिनायल, साबुन का घोल एसिड, कैरोसिन, कीटाणु अवरोध पदार्थ, नेपथोलिन गोलियॉ, हारपिंक कोलिन एवं सुगंधित पदार्थों का समुचित मात्रा में उपयोग का व्यय ठेकेदार द्वारा स्वयं किया जावेगा। जिसकी सूची संलग्न करनी होगी।
18. निविदादाता द्वारा सफाई सामग्री में किसी भी प्रकार की मिलावट अथवा सामग्री असंतोषजनक पाई जाने पर सामग्री जब्त कर ठेके को रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी अथवा सामग्री जब्त कर उचित सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी जिसका समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा।
19. संस्थान के समस्त शौचालयों को दिन में दो बार और आवश्यकतानुसार अधिक बार साफ कर पौंछा लगाना होगा।
20. निविदादाता द्वारा संस्थान परिसर पर झाडू–पोंछा एवं परिसर में दरवाजों एवं समस्त खिड़कियों, उपकरणों, फर्निचर, शीशे, टेबिल, कुर्सी, कम्पयूटर आदि की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
21. निविदादाता द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर लगी खिड़कियों, दरवाजों, कॉच, पंखों आलमारियों आदि की माह में एक बार सफाई करनी होगी।
22. निविदादाता द्वारा भवनों की छतों पर माह में एक बार सफाई एवं धुलाई करनी होगी।

23. परिसर स्थित महिला छात्रावास में सफाई का समस्त कार्य महिला सफाई कर्मचारीयों द्वारा ही किया जावेगा। पुरूष सफाई कर्मचारी बिना वार्डन की अनुमति के इस छात्रावास में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

24. निविदादाता द्वारा शौचालयों, सेफ्टिक टैंक, सीवर लाईन की लाईन की सफाई से सबंधित का कार्य स्वयं द्वारा करवाया जायेगा।

25. सफाई कार्य हेतु पानी एवं बिजली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाए जाऐंगे।

26. किसी सफाई कर्मचारी के अवकाश लेने पर ठेकेदार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।

27. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी प्रतिदिन आठ घंटे संस्थान द्वारा निर्धारित समय पर संस्थान में काम करेंगे।

28. मुख्य भवन (कक्षाओं सहित) की साफ–सफाई का कार्य प्रतिदिन प्रातः 09.00 से पूर्व करना अनिवार्य होगा।

29. निविदादाता को विशेष अवसरों पर साफ सफाई का कार्य पूरे भवन व उसके प्रत्येक भाग में निर्धारित समय में पूरा करना होगा।

30. संस्थान परिसर लॉन में बिखरे कागज, गिलास एवं अन्य बेकार कचरा/सामग्रियों को प्रतिदिन इकट्ठा कर निर्धारित स्थान पर रखना होगा।

31. निविदादाता को भुगतान माह में एक बार ही किया जावेगा, जिसका बिल माह की 05 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

32. ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों का पी.एफ. ई.एस.आई, प्रमाण पत्र (चालान) संस्थान को प्रतिमाह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिसके पश्चात् ही संस्थान द्वारा बिल का भुगतान किया जायेगा।

33. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों को समय पर भुगतान किया जावेगा, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वर्दी, भत्ता, न्यूनतम वेतन एवं अन्य लाभ, परिलाभ देने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।

34. निविदादाता द्वारा न्यूनतम वेतन, पी.एफ. ई.एस.आई, जी.एस.टी. राज्य सरकार एवं किसी भी निगम द्वारा लगाये जाने वाले कर का भुगतान स्वयं करना होगा।

35. न्यूनतम वेतन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और समय–समय पर संषोधित दरों पर किया जावेगा।

36. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त कर्मचारी एक प्रकार की ही वर्दी में होने चाहिये।

37. परिसर के किसी भी भाग मे कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर भुगतान की जाने वाली राशि में से आनुपातिक कटौति की जावेगी। एक माह का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

38. सफाई असंतोषजनक होने पर एवं सफाईकर्मी के अनुपस्थित होने पर संस्थान द्वारा अन्य सफाईकर्मी से कार्य करवाया जायेगा जिसका भुगतान निविदाता को देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।

39. कार्य करते समय कार्मिकों की सुरक्षा और किसी भी सफाई कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर समस्त उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।

40. निविदादाता द्वारा परिसर में किसी भी प्रकार का मलबा, कचरा पत्थर स्क्रेप आदि होने पर उसे संस्थान द्वारा निर्धारित स्थान पर रखना होगा।

41. संस्थान न्यूनतम निविदादाता को ठेका देने को बाध्य नहीं होगा।

42. संस्थान द्वारा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का निर्णय किया जा सकता है।

43. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय निदेशक, भारतीय शिल्प संस्थान का होगा जो मान्य होगा।

44. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

हस्ताक्षर

मय रबड मोहर सहित